



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

६४, ७वा, एवं ८वा ताल, टायर बी, पर्ल ड्रेड सेंटर,
गौरीगंगा नगर, नई दिल्ली-११००२९

याचिका सं. १५६ / टीएल / २०२४

दिनांक: ६.६.२०२४

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

वरोपा कुर्नूल इंसामिशन लिमिटेड, अदानी ग्राउंड, शात्रियम, तीसरी मंजिल, सारथि विहार, ईस्सी हाइवे, अहमदाबाद - 382421 द्वारा विनियमित टैरिफ तंत्र (आरटीएन) मोड (इसके पश्चात 'पारेषण योजना' के रूप में संदर्भित) पर 'दक्षिणी प्रदेश में आयात के लिए अतिरिक्त अंतर प्रादेशिक एसी लिंक अर्थात् 'वरोपा - वारंगल और विलाक्कुरीपेट - हैदराबाद - कुर्नूल 765 कंवी लिंक' योजना के अधीन डब्ल्यूकटीएल द्वारा कार्यान्वयित पारेषण लाइनों के लिए वस्त्र रिप्रेटर के रूप में स्थिरबद्ध लाइन रिप्रेटर उपयोग करने के लिए एनजीआर वाइपास करने हेतु योजना - भाग -का के कार्यान्वयन के लिए वस्त्र रिप्रेटर के लिए पारेषण अनुच्छेदित के संबोधन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है। परियोजना का कार्यक्षेत्र जिसके लिए पारेषण अनुच्छेदित की भाग की गई है निम्नानुसार है:

क्रम सं.	योजना का नाम और कार्यान्वयन की समय-सीमा	अनुमानित लागत हि करोड़)	टिप्पणी
1.	'दक्षिणी प्रदेश में आयात के लिए अतिरिक्त अंतर प्रादेशिक एसी लिंक अर्थात् वरोपा - वारंगल और विलाक्कुरीपेट - हैदराबाद - कुर्नूल 765 कंवी लिंक योजना के अंतर्वाले डब्ल्यूकटीएल द्वारा कार्यान्वयित पारेषण लाइनों के लिए वस्त्र रिप्रेटर के रूप में स्थिरबद्ध लाइन रिप्रेटर उपयोग करने के लिए एनजीआर वाइपास करने हेतु योजना - भाग -का कार्यान्वयन समय-सीमा: ०६ मास	२.०८	वरोपा कुर्नूल इंसामिशन लिमिटेड द्वारा आरटीएन के अधीन कार्यान्वयित किये जाने हेतु अनुच्छेदित। (मिसर्स अदानी)
2.	लैटेल इंसामिशन ग्रूपलिंटी अफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक १६.४.२०२४ के अपने एवं द्वारा प्रस्तावित पारवण प्राणाली स्थापित करने के लिए आवेदक को पारेषण अनुच्छेद प्रदान किए जाने हेतु भर्तु सुनिश्चित किया है।		
3.	सिक्कोड में नेपली समाजी के आषांग पर आयोग ने याचिका सं. १५६ / टीएल / २०२४ में दिनांक ६.६.२०२४ के आदेश द्वारा उपर्युक्त प्रेरा १ में याचिकालिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुच्छेद जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।		
4.	दोसरा नोटिस नामांकन - अभिनंद को अंतरराज्यिक पारेषण अनुच्छेद प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समझ के, नए अनुच्छेद अनुच्छेद १ अंतर आवेदन की मती को वयस्तात् www.adarnenergyolutions.com पर देने जा सकता है जो नियमित रूप से योजना के अनुसार करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जाएगा।		
5.	नोटिस एवं द्वारा आधिनियम को धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया जाता है कि आवेदक का पारवण अनुच्छेद प्रदान किए जाने हुए आयोग के प्रस्ताव के प्रति जुकामीय या आपत्तियाँ, यदि कोई हो, को सकते पाते पर दिनांक १०.६.२०२४ तक अद्योतकारी को भेज दिया जाए। याचिकालिखित आवेदक के पारवण हुए सुझावों या आपत्तियों पर विवाद नहीं किया जाएगा।		
6.	आयोग द्वारा दिनांक १५.६.२०२४ को आवेदन पर आयोग को सुनवाई की जाएगी। काइ भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों का दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वयंवरके से उपर्युक्त रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोइ टार्फ / लीप नहीं दिया जाएगा।		हस्ता / - (हस्तीत सिंह पूर्णी) संचिव